कलेक्टर जनदर्शन की शिकायत पर निगम की बड़ी कार्रवाई, अवैध कब्जा हटाकर सड़क कराई मुक्त

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक और सख्त कार्रवाई करते हुए जोन–2 वैशाली नगर क्षेत्र में शेड और झुग्गी–झोपड़ी बनाकर किए गए कब्जे को हटाया। यह कार्रवाई कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें बताया गया था कि अतिक्रमण के कारण सड़क बाधित हो रही है और आम लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देश पर जोन–2 के राजस्व विभाग एवं बेदखली दल ने वार्ड क्रमांक–22 स्थित कुरूद ढांचा भवन के समीप सांई मंदिर के पास पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि बाउंड्रीवाल से सटे क्षेत्र में अवैध रूप से शेड एवं झुग्गी–झोपड़ी बनाकर शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया है, जिससे सड़क का हिस्सा प्रभावित हो रहा था। स्थिति स्पष्ट होने के बाद निगम की टीम ने तत्काल बेदखली अभियान चलाते हुए अवैध निर्माण को हटाया और कब्जे वाली भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक मार्ग, शासकीय भूमि एवं नागरिक सुविधाओं में बाधा उत्पन्न करने वाले अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे शासकीय भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा न करें। साथ ही कहा गया है कि जनहित में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी तथा शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए अभियान लगातार चलाया जाएगा।